न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मादाराम पुत्र भोमाराम जाति कलबी निवासी माण्डावास तहसील रोहट		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री खंगारराम पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 2/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 116/2010 में तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2010 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 80/2011 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रोहट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम मांडावास के खसरा नम्बर 660 रकबा 116.10 बीघा में से 0.16 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट से विधिवत तामील भी नहीं करवाया गया। तामील कुनिन्दा द्वारा पुत्र की तामील अंकित की, जबकि न तो नाम लिखा न दिनांक अंकित की। इस भूमि पर अपीलाण्ट का न तो पश्चातवर्ती अतिक्रमण हे तथा न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कैफियत के कॉलम में अंकित कर देने से ही अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण की ताईद में पटवारी हल्का के बयान भी कलमबद्ध नहीं किए। दिनांक 30.08.2010 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 16.09.2010 को प्रकरण का निस्तारण भी कर दिया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलाण्ट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करते हुए एक माह के सिविल कारावास से अपीलाण्ट को दण्डित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश की प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर पाली में की, जिसमें अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा। वास्तविक तथ्य यह है कि जिस स्थान पर अपीलाण्ट काबिज है, वह भूमि रास्ते की न होकर अपीलाण्ट की पट्टासुदा भूखण्ड की है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा जरिये मिसल संख्या 55/1984–85 के जरिये पट्टा संख्या 22 दिनांक 30.03.1988 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश के जरिये एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मांडावास के खसरा नम्बर 660 रकबा 116.10 बीघा में से 0.16 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मांडावास के खसरा नम्बर 660 रकबा 116.10 बीघा में से 0.16 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का मांडावास द्वारा तहसीलदार रोहट के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मादाराम पुत्र भौमाराम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर वाडा बनाया है, इस पर तहसीलदार पाली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2010 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के पुत्र से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि रास्ते की न होकर अपीलाण्ट की पट्टासुदा भूमि है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में जारी किया गया है ? इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाया है तथा न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को उठाया गया है। विधि अनुसार इन तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही उठाया जाना न्यायोचित था, जिससे इन तथ्यों के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण किया जाकर ही आदेश पारित किया जाता, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक रूप से यह तथ्य द्वितीय अपीलीय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय के समक्ष उठाया गया है। यदि अपीलाण्ट के इस तथ्य में बल होता, तो वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही एकपक्षीय आदेश को अपास्त कराने हेतु चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करता, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा न ही परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन के तहत राहत प्राप्त की गई। जबकि अतिरिक्त साक्ष्य की स्थिति में उक्त दोनो ही अपीलाण्ट हेतु सक्षम विकल्प थे। अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही न तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष की एवं न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया। इस कारण प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब जहां तक जैर अपील आदेश पारित करने में परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो उक्त दोनों ही विद्वान न्यायालयों द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 116/2010 में तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2010 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 80/2011 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 2/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली